न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/11

1. कौशल्या पुत्री छोटे लाल
2. मैना पुत्री छोटेलाल
3. मामराज पुत्र छोटेलाल
   समस्त जाति मेघवाल निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम पुत्र स्व0 प्रभाती
2. अमीचन्द पुत्र स्व0 प्रभाती
3. रामेश्वर पुत्र स्व0 प्रभाती
   समस्त जाति चमार निवासी रामनगर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।
4. ताराचन्द पुत्र शेर सिंह मुतबन्ना बुधाराम जाति चमार निवासी रामनगर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड।
5. ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानूसर जरिये संरपंच ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड प्रकरण संख्या 13/2018 उनवानी हरिराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत शाहपुर व अन्य निर्णय दिनांक 11.12.2023

उपस्थित–

1. श्री सुरेश चाहर, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2 श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से
3 श्री मुकेश पांचाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/12

1. ताराचन्द पुत्र शेर सिंह मुतबन्ना बुधाराम जाति चमार निवासी रामनगर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड।

–अपीलान्ट

बनाम

1. हरिराम पुत्र स्व0 प्रभाती
2. अमीचन्द पुत्र स्व0 प्रभाती
3. रामेश्वर पुत्र स्व0 प्रभाती
   समस्त जाति चमार निवासीयान रामनगर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

–रेस्पोडेन्ट

4. ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानूसर जरिये संरपंच ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानसूर जिला अलवर हाल कोटपूतली–बहरोड।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड प्रकरण संख्या 13/2018 उनवानी हरिराम व अन्य बनाम ग्राम पंचायत शाहपुर व अन्य निर्णय दिनांक 11.12.2023

उपस्थित–

1 श्री अनिल गुप्ता, अधिवक्ता अपीलान्ट।

2 श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 30.09.2024

1. यह अपील दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के निर्णय दिनांक 11.12.2023 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ क्रमशः दिनांक 08.02.2024 एवं दिनांक 21.02.2024 को प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों में तथ्य, पक्षकार एवं निर्धारण योग्य बिन्दु एक समान है। अतः इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 ने नामान्तरकरण संख्या 429 वाके मौजा शाहपुर पर ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानसूर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.1987 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के यहां अपील पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा निर्णय दिनांक 11.12.2023 से अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 429 वाके मौजा शाहपुर पर ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानसूर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.1987 को निरस्त/अपास्त किया जाकर मूल नामान्तकरण तहसीलदार, बानसूर को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये गये कि वे अपीलान्ट/रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य/सबूतों की रोशनी में पुनः निर्णय पारित करें।

3. उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 11.12.2023 से व्यथित होंकर अपीलान्टस कौशल्या पुत्री छोटे लाल वगै. द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ एवं ताराचन्द दत्तक पुत्र बुधाराम ने यह अपील प्रस्तुत कर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 11.12.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि तहत अदालत के समक्ष असल रेस्पो0 द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि आलौच्य आदेश दिनांक 10.11.1987 इन्तकाल संख्या 429 ग्राम पंचायत शाहपुर की जानकारी पूर्व में उन्हें नहीं थी। जिस आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 30.08.2018 को हुई जब रेस्पो0 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिस पर दिनांक 31.08. 2018 को नकल प्राप्त की एवं दिनांक 05.09.2018 को कानूनी सलाह प्राप्त कर अपील तहत अदालत के समक्ष पेश की गई। प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य जानकारी के सम्बन्ध में झूंठे दर्ज किये गये क्योंकि असल रेस्पो0 व उसकी माता हरकली व बहनों के द्वारा एक दावा संख्या 150/2014 बाबत इश्तरारहक दिनांक 23.09.2014 को इन्तकालधीन आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष अपीलान्ट ताराचन्द पुत्र बुद्धा को पक्षकार मुकदमा बनाया जाकर पेश किया गया था इस प्रकार उक्त इन्तकाल की जानकारी सन् 2014 में ही असल रेस्पो0 को ही गई थी जिस दावे में असल रेस्पो0 द्वारा बुद्धा का वारिस ताराचन्द–अपीलान्ट को बताया गया है जो दावा विचाराधीन है। इसी प्रकार इन्तकाल में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1293 का बेचान जरिये इकरारनामा दिनांक 25.07.1997 को अपीलान्ट ताराचन्द पुत्र बुद्धाराम द्वारा मुलचन्द पुत्र जाहरा को किया था, जिस इकरारनामा पर असल रेस्पो0 अमीचन्द के बतौर गवाह के

हस्ताक्षर है। इस प्रकार असल रेस्पो0 को उक्त इन्तकाल की जानकारी प्रारम्भ से रही है जो जानकारी व दिनांक असल रेस्पो0 द्वारा अपनी अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में दर्ज की गई है जो गलत व मिथ्या दर्ज की गई है। इसी प्रकार जानकारी दिनांक के बाद भी काफी समय बाद इन्तकाल के विरूद्ध अपील पेश की गई लेकिन तहत अदालत द्वारा असल रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को बेजा व गलत प्रकार से स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है। असल रेस्पो0 जो इन्तकाल संख्या 429 में पक्षकार नहीं होने के आधार पर उनके द्वारा अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने की अनुमति चाही गई थी। जिस प्रार्थना पत्र असल रेस्पो0 द्वारा इस आधार पर अपने आपको व्यथित होना बताया कि मृतक बुद्धाराम उनका रिश्ते में सगा चाचा लगता है एवं अपीलान्ट ताराचन्द जिसका बुद्धा से कोई रिश्ता नहीं है। विवादित आराजी पर असल रेस्पो0 का कब्जा है और इन्तकाल स्वीकृत होने पर उनके हक अधिकार जायल होते हैं। इसलिये व्यथित पक्षकार हैं। जिस पर तहत अदालत द्वारा बगैर तथ्यों पर गौर किये ही प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी.सी. स्वीकार किये जाने में भारी कानूनी भूल की है जबकि इन्तालधीन आराजी जो मृतक बुद्धा की खातेदारी की आराजी थी और उसकी मृत्यु के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 31.05.1986 के आधार पर अपीलान्ट ताराचन्द के नाम ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किया गया था जिस आराजी पर अपीलान्ट ताराचन्द का कब्जा काश्त है। उससे पूर्व मृतक बुद्धा का कब्जा काश्त था और असल रेस्पो0 का मृतक बुद्धा की आराजी पर कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है। इस प्रकार असल रेस्पो0 का इन्तकाल संख्या 429 के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था। लेकिन तहत अदालत द्वारा इन तथ्यों पर कतई गौर नहीं किया जाकर असल रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी गई जो गलत दी गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.12.2023 जो अपीलान्ट के बाला बाला में एक तरफा में पारित किया गया है। असल रेस्पो0 द्वारा साज बाज होकर जरिये रजिस्टर्ड तामिल होना बताया गया है। जिस पर तहत अदालत द्वारा एक तरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार एक तरफा आदेश पारित होने से मिन अपीलान्ट अपने तथ्य व सबूत प्रस्तुत करने से महरूम हो गया एवं सारभूत न्याय से वंचित रह गया। असल रेस्पो0 द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष एक दावा सम्वत 2009, सम्वत 2013, सम्वत 2017 की जमाबन्दी में वर्णित साबिक रिकोर्ड के आधार पर सम्वत 2021 की जमाबन्दी को चैलेंज कर अपने नाम खातेदारी दर्ज करने के लिये पेश किया गया है। जिस दावा में असल रेस्पो0 द्वारा अपीलान्ट ताराचन्द को मृतक बुद्धा का वारिस बताया है। मृतक बुद्धा की विरासत का इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 10.11.1987 को दर्ज किया गया है। जो सही दर्ज किया गया है इस प्रकार असल रेस्पो0 को इन्तकाल के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था। अगर असल रेस्पो0 का कोई हक व हिस्सा सम्वत 2021 से पूर्व की जमाबन्दी 2009, 2103, 2017 के आधार पर बनता था तो वह दावे में निर्णित होता लेकिन तहत अदालत द्वारा अपील इस आधार पर स्वीकार करने में कानूनी भूल की है कि पूर्व साबिक रिकोर्ड के बन्दोबस्त के दौरान हुई त्रुटियों को दुरूस्त करने में समय लगने की संभावना है, नामान्तकरण स्वीकृत करते समय ग्राम पचांयत शाहपुर के द्वारा असल रेस्पो0 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि गलत है। तहत अदालत द्वारा उक्त इन्तकाल को इस आधार पर निरस्त करने में भारी कानूनी भूल की है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन रिकॉर्ड में गोद लेने वाले का नाम मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं है तथा पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक, ग्राम पंचायत शाहपुर के स्तर पर मृत्यु प्रमाण पत्र के अभाव में नामान्तरकरण दर्ज करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है जो नितान्त गलत है जबकि अपीलान्ट द्वारा कानूनी अज्ञानता के कारण मृतक बुद्धा का प्रमाण पत्र नही बनवाया गया था लेकिन बुद्धा की मृत्यु होने के उपरान्त ही उसकी विरासत का इन्तकाल रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 31.05.1986 के आधार पर ही ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा मिन अपीलान्ट के हक में स्वीकृत किया गया था। इन्तकाल स्वीकृत करने में मृत्यु प्रमाण पत्र एक अत्यन्त आवश्यक दस्तावेज नहीं था। मृतक की मृत्यु होने के सम्बन्ध में मौखिक जानकारी होने पर भी इन्तकाल स्वीकृत किया जा सकता है। जिस पर ग्राम

पंचायत द्वारा मृतक के सम्बन्ध में जानकारी करने के बाद ही रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर मृतक बुद्धा की विरासत का इन्तकाल अपीलान्ट के हक में स्वीकृत किया गया है। असल रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था कि इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 10.11.1987 को स्वीकृत करते समय मृतक बुद्धा जीवित हो एवं अपीलान्ट द्वारा साज बाज होकर अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराया गया हो। इस आधार पर इन्तकाल निरस्त करने में भारी भूल की है कि नामान्तरकरण संख्या 429 के कायम रहने से विवादित आराजी के हस्तान्तरण की पूर्ण संभावनाऐं है जिसकी वाद की बाहुलता बढेगी जो कि गलत है। इन्तकाल की कार्यवाही एक फिसकल कार्यवाही है जिस पर कोई हक व अधिकार नहीं मिलते। असल रेस्पो0 द्वारा अपने हक व अधिकार घोषित कराने के लिये अलग से दावा पेश कर रखा है। जिसमें ही उसके हक व अधिकार निर्णित होगे। इन्तकाल संख्या 429 अपीलान्ट के हक में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 31.05.1986 के आधार पर स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार इन्तकाल को निरस्त करवाने का अधिकार असल रेस्पो0 को प्राप्त नहीं हैं। मृतक बुद्धा अपीलान्ट ताराचन्द का नाते में दादा लगता था और उसके द्वारा अपीलान्ट को बचपन में ही मौखिक रूप से उनके प्रचलित रीति रिवाज व रस्म, रूढि प्रथा के अनुसार ही गोद लिया गया था। जिस गोदनामा दिनांक 31.05.1986 को ही रजिस्टर्ड कराया गया था। जिस रजिस्र्ड गोदनामा को असल रेस्पो0 द्वारा चैलेंज हेतु एक सिविल वाद अदालत अपर जिला न्यायाधीश संख्या एक अलवर में किया हुआ है। इस दावे में उक्त इन्तकाल को चैलेंज नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा अपने आदेश में रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 31.05.1986 के सम्बन्ध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई और यह भी कहा गया है कि इस न्यायालय को रजिस्टर्ड गोदनामा की सत्यता व वैधता पर कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। इस गोदनामा के आधार पर इन्तकाल स्वीकृत किया गया था फिर भी तहत अदालत द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। आलौच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 को अपीलान्ट के खिलाफ बाला बाला में एक तरफा पारित किया है । जिस आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.02.2024 को हुई। जब असल रेस्पो0 द्वारा अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश बानसूर के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवान हरिराम बनाम ताराचन्द में उक्त आदेश दिनांक 11.12.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई तो अपीलान्ट के द्वारा उसी दिन तहत अदालत के आदेश की नकल हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनांक 14.02.2024 को प्राप्त हुई और मिन अपीलान्ट ने अपने वकील साहब से कानूनी सलाह व मशवरा किया तो वकील साहब ने तहत अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की सलाह दी गई। इस प्रकार तहत अदालत के आदेश दिनांक 11.12.2023 की जानकारी दिनांक 14.02.2024 तक गुजरे समय को जानकारी के अभाव मे एव आदेश की नकल प्राप्त करने की दिनांक 14.02.2024 से आज तक गुजरे समय को कानूनी सलाह व मशवरा प्राप्त करने में गुजरे समय को कन्डोन किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट की ओर से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड राज0 के आलौच्य आदेश दिनांक 11.12.2023 को निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 10.11.1987 को बहाल किये जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 10.111.1987 ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानसूर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी थी कि साबिक खसरा नम्बर 773, 774, 775, 776, 778, 779 जिनके हाल खसरा नम्बर 1554, 1556, 1557, 1563, 1565, 1574, 1575, 1576, 1578, 1567, 1571, 1577, 1573 वाके मौजा शाहपुर तहसील बानसूर प्रभाती, मोहन, बुधाराम पुत्रान स्व0 श्री गंगासहाय जाति चमार निवासी रामनगर तहसील बानसूर की शामलाती कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजीयात थी। प्रभाती, मोहन व बुधाराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रभाती, मोहन, बुधाराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रभाती के तीन सन्तान हरीराम, अमीचन्द व रामेश्वर जो कि उक्त अपील हाजा में अपीलान्टस हैं तथा मोहन के एक पुत्र मंगलराम पैदा हुआ तथा बुधाराम के कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई, जो अविवाहित, लाऔलाद फौत हो चुके हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ताराचन्द के द्वारा फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज गोदनामा तैयार कर व उसके आधार पर ग्राम

पंचायत से मिलीभगत कर दिनांक 10.11.1987 को मृतक बुद्धाराम की विरासत को इन्तकाल संख्या 429 अपने नाम दर्ज कर स्वीकृत करवा लिया गया, जबकि ताराचन्द को उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कराने का अधिकार नहीं था, ग्राम पंचायत शाहपुर के द्वारा इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 10.11.1987 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ताराचन्द के नाम दर्ज व स्वीकृत किया गया है, वह गोदनामा दिनांक 31.05.1986 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ताराचन्द को मृतक बुधाराम का वारिस मानते हुए दर्ज व स्वीकार किया गया है, जबकि उक्त गोदनामा कानूनी रूप से अपूर्ण दस्तावेज था, जिस पर ना दत्तककर्ता के कोई हस्ताक्षर थे ना ही परिवार के किसी सदस्य के हस्ताक्षर थे तथा ना ही किसी सगे–सम्बन्धी के कोई हस्ताक्षर थे। यहां तक इंतकाल दर्ज करने के लिए सर्वप्रथम दस्तावेज जिस व्यक्ति का विरासत का इन्तकाल दर्ज किया जाना है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, किंतु ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ताराचन्द से साजबाज होकर बिना दस्तावेजात की पूर्ति किए बिना, बिना कोई सुनवाई का अधिकार दिए व बिना रिकार्ड, मौके तथा दस्तावेज की जांच किए, उक्त आलोच्य आदेश पारित कर इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है जो मंसूख किए जाने योग्य है। ना ही ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किया कि गोदनामा निष्पादित करते समय गोद जाने वाले बच्चे की आयु अधिकत 9 वर्ष होनी चाहिए जबकि गोदनामा निष्पादन की तिथि के समय ताराचंद विवाहित व्यक्ति था जिसकी आयु करीब 21 साल थी जो कानूनन किसी भी सूरत में गोद लिए जाने योग्य नहीं था, ना ही उक्त गोदनामा पर गोद जाने वाले बच्चे की कोई आयु भी दर्शित है। उक्त गोदनामा का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत शाहपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई हेतु कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। मृतक बुधाराम अपीलांटस का रिश्ते में सगा चाचा था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ताराचन्द का उनसे किसी भी प्रकार कोई रिश्ता नहीं था। अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है तथा उक्त नामान्तरकरण के दर्ज व स्वीकृत रहने से अपीलांटस के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे हैं इसलिए अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 429 पर ग्राम पंचायत शाहपुर के आलोच्य आदेश दिनांक 10.11.1987 को खारिज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.12.2023 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 429 वाके मौजा शाहपुर पर ग्राम पंचायत शाहपुर तहसील बानसूर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.1987 को निरस्त/अपास्त किया जाकर मूल नामान्तकरण तहसीलदार, बानसूर को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश दिये गये कि वे अपीलान्ट/रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए साक्ष्य/सबूतों की रोशनी में पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड ने किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में बिना पक्षकार बनाये ही निर्णय पारित किया गया है। जिसके कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर

अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उभयपक्षों की बहस से जाहिर होता है कि प्रकरण में पंजीकृत गोदनामे के आधार पर स्वीकृत नामान्तकरण को पंजीकृत गोदनामें को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बगैर निरस्त किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। जहॉ तक धोषणा खातेदारी का प्रश्न है। यह प्रश्न दावे के माध्यम से ही तय हो सकता है। नामान्तरकरण के माध्यम से इस प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में गोदनामे के संबंध में सिविल न्यायालय में तथा धोषणा खातेदारी के संबंध में राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के निर्णय के पश्चात ही नामान्तरकरण के संबंध में कार्यवाही की जानी उचित प्रतीत होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 10.11.1987 को बहाल किया जाता है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बानूसर जिला कोटपूतली–बहरोड दिनांक 11.12.2023 निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 429 दिनांक 10.11.1987 को बहाल किया जाता है।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर